सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर : राज.

A6
J

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 36/16

गुरप्रीतसिंह पुत्र स0 जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी चक 24 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 2–6–15 तहसीलदार, सादुलशहर इंतकाल सं0 547

उपस्थित :1.श्री अजायबसिंह ग्रेवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से

आदेश दिनांक : 10–08–16

अपीलांट द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व अन्य भाईयों की ओर से एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि इंतकाल में प्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज किये गये हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में इस प्रकार की दुरूस्ती करने का निवेदन किया कि हरदयालसिंह के स्थान पर हरपालसिंह, हरविन्द्रसिंह के स्थान पर गुरविन्द्रसिंह एवं हरनेकसिंह उर्फ गुरप्रीतसिंह दर्ज किये जावें। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर ने पूर्ण जॉच के बाद दिनांक 27–1–15 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हरदयालसिंह के स्थान पर गुरविन्द्रसिंह, हरविन्द्रसिंह के स्थान पर गुरविन्द्रसिंह और हरनेकसिंह के साथ उर्फ गुरप्रीतसिंह दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। आदेश की प्रति व प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल दर्ज करने के लिए पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27–1–15 की पालना में इंतकाल दर्ज नहीं किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल में हरपालसिंह व गुरविन्द्रसिंह के नामों की तो दुरूस्ती हो गई है, लेकिन हरनेकसिंह के साथ उर्फ गुरप्रीतसिंह शब्द नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार निवेदन किया कि आदेश दिनांक 27–1–15 के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अनुसार इंतकाल में दुरूस्ती कर, नया इंतकाल दर्ज कर, हरनेकसिंह के नाम के साथ उर्फ गुरप्रीतसिंह जोड़ा जाने के आदेश दिये जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया कि हरदयालसिंह के स्थान पर हरपालसिंह, हरविन्द्रसिंह के स्थान पर गुरविन्द्रसिंह एवं हरनेकसिंह उर्फ गुरप्रीतसिंह दर्ज किये जावें। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर ने पूर्ण जॉच के बाद दिनांक 27–1–15 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हरदयालसिंह के स्थान पर गुरविन्द्रसिंह, हरविन्द्रसिंह के स्थान पर गुरविन्द्रसिंह और हरनेकसिंह के साथ उर्फ गुरप्रीतसिंह दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। आदेश की प्रति व प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल दर्ज करने के लिए पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27–1–15 की पालना में इंतकाल दर्ज नहीं किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल में हरपालसिंह व गुरविन्द्रसिंह के नामों की तो दुरूस्ती हो गई है, लेकिन हरनेकसिंह के साथ उर्फ गुरप्रीतसिंह शब्द नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार निवेदन किया कि आदेश दिनांक 27–1–15 के अनुसार इंतकाल में दुरूस्ती कर, नया इंतकाल दर्ज कर, हरनेकसिंह के नाम के साथ उर्फ गुरप्रीतसिंह जोड़ा जाने के आदेश दिये जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि दुरूस्ती का मामला है। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 27–1–15 के अनुसार हरनेकसिंह के नाम के साथ उर्फ गुरप्रीतसिंह जोड़ा जाना है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के मु0 माल प्रकरण सं0 63/14 जसवन्तसिंह वगैरा बनाम राज्य निर्णय दिनांक 27–1–15 के अनुसार हरपालसिंह के स्थान पर हरदयाल, गुरविन्द्रसिंह के स्थान पर हरविन्द्रसिंह व हरनेकसिंह उर्फ गुरप्रीतसिंह की दुरूस्ती के आदेश दिये गये हैं। इंतकाल सं0 547 दिनांक 2–6–15 में हरदयालसिंह के स्थान पर हरपालसिंह, हरविन्द्रसिंह के स्थान पर गुरविन्द्रसिंह दर्ज है, लेकिन हरनेकसिंह के नाम के साथ हरनेकसिंह उर्फ गुरप्रीतसिंह अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 27–1–15 की पूर्ण पालना नहीं करने में विधिक त्रुटि की गई है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 547 दिनांक 2–6–15 निरस्त किया

Lan

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जाता है। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 27–1–15 को मध्यनजर रखते हुए इंतकाल दर्ज करें। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 10–8–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/8/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

नोट: आदेशिका दि0 24.8.16 पर पारित आदेश के अनुसरण में निर्णय के शीर्षक में तहसीलदार, सादुलशहर के स्थान पर तहसीलदार, श्री गंगा नगर पढ़ा जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)